राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(ग्रामीण विकास विभाग ग्रुप–1)

क्रमांक : एफ 2(1) ग्रावि/ग्रुप–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 16 JUL 2014

–विज्ञप्ति–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं विभिन्न जिला परिषदों में राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 एवं संशोधित नियम, 2013 के तहत उनके सामने अंकित योग्यता एवं अनुभवी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर विशेष चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2014 तक आमंत्रित किये जाते है:–

(1) परियोजना निदेशक (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (50% पद) (3) अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयंक(रो.गा.स्की.), (4) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (5) परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी)।

नोट:– उक्त नियम के अन्तर्गत चयनित समस्त अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में उनकी सेवावधि के दौरान उनके मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ता नियमानुसार संदत किया जायेगा।

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये परन्तु आवेदित पद पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के अधीन पहले से विशेष चयन पर कार्यरत अधिकारी 55 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। परियोजना निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (50% पद), अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी(अभियांत्रिकी) के पद पर विशेष चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र सेवायें, न्यूनतम योग्यता एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है।

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

D:\MUKESH 07-10-2013\BENIWAL 20-02-2014\LETTERS.doc

परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(रो.गा.स्की.)/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/परियोजना अधिकारी(अभियांत्रिकी) के पद पर विशेष चयन हेतु पात्र सेवाओं का विवरणः–

क्र. सं.	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1.	परियोजना निदेशक	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 20 (7600/– रु.)
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (50% पद)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (रा.प्र.से.)	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 20 (7600/– रु.)
3.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(रो. गा.स्की.)	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 17 (6600/– रु.)
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 17 (6600/– रु.)
5.	परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी)	(क) राजस्थान अभियन्ता सेवा (i) लोक निर्माण विभाग (ii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (iii) जल संसाधन विभाग (ख) राजस्थान कृषि सेवा (अभियांत्रिकी विंग) (i) कृषि विभाग (अभियांत्रिकी विंग) (ii) जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग (अभियांत्रिकी विंग) (ग) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सेवा (घ) राजस्थान वन सेवा (रा.व.से.)	सहायक अभियन्ता (डिग्रीधारक) (सहायक अभियन्ता के रूप में 3 वर्ष के अनुभव सहित) सहायक वन संरक्षक साथ में 3 वर्ष का अनुभव।